

## बन्दोवस्त कार्यालय, शेखपुरा

:- अल्पकालीन निविदा सूचना :-

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में शेखपुरा जिला अन्तर्गत भू-सर्वेक्षण कार्य के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर सामग्री क्रय करने का निदेश प्राप्त हुआ है। तदनुसार जिले में भू-सर्वेक्षण शिविरों में आपूर्ति हेतु उपस्कर सामग्री क्रय हेतु निम्नांकित सामग्रियों के निर्धारित दर पर इच्छुक आपूर्तिकर्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग-अलग लिफाफा में होगी।

इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 18.12.2020 अपराह्न 3:00 बजे तक बन्दोवस्त कार्यालय, शेखपुरा में निविदा दाखिल कर सकते हैं।


क्र0	सामग्री का नाम	साईज	अदद	दर	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	लकड़ी का टेबुल	(4X2.5 फिट)	60 अदद	3000	1,80,000
2	लकड़ी का कुर्सी	(3.5X1.5 फिट)	60 अदद	1500	90,000
3	प्लास्टिक का कुर्सी	(H7873mm,W7582mm,D7587m m)	450 अदद	1000	4,50,000
4	बक्सा (चदरा)	(45X32X25 इंच में)	75 अदद	2000	1,50,000
5	तख्ती तिपाई	(3X21/2 फिट में)	15 अदद	3850	57,750
6	कैलकुलेटर	(ओरपेट-12 डिजीट)	45 अदद	225	10,125
7	चैन (जरीब)		15 अदद	2000	30,000
8	विविध सामग्री		15 अदद	5000	75,000
कुल :-			735	18575	1042875


निविदा की शर्तें :-


1. निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकृत रहना चाहिए।
2. निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र जो पुलिस अधीक्षक से निर्गत हो और छः महीने से अधिक का नहीं हो संलग्न रहना चाहिए।
3. सामग्री का दर जी0एस0टी0/आयकर सहित अंकित होना चाहिए। भुगतान के समय नियमानुसार जी0एस0टी0 और आयकर की राशि काटकर भुगतान किया जायेगा।
4. 2019-2020 आयकर वित्तीय रिटर्न विवरणी संलग्न होनी चाहिए।
5. आदेश प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर बन्दोवस्त कार्यालय, शेखपुरा में सामग्री आपूर्ति निर्दिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित करना होगा। निर्दिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित करने के लिए वाहन भाड़ा अथवा Labour Cost देय नहीं होगा।
6. कम्पनी/फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ-पत्र मूल में निविदा पत्र के साथ संलग्न रहना चाहिए।
7. निविदा के साथ कैटलॉग एवं अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख हो।
8. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा को रद्द/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. सामग्री आपूर्ति के पूर्व अग्रिम देय नहीं होगा।

C:\Users\BANDOBAST\Desktop\Dharmidhar (Nazir)\nibida\nibida letter 25-09-2020.docx-1

11. समान दर होने पर स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. बिहार सरकार अन्तर्गत सरकारी कार्यालय में सामग्री आपूर्ति किये जाने संबंधी शपथ पत्र मूल में संलग्न कर तथा कार्यालय का नाम उल्लेखित करें।
13. अग्रधन के रूप में 5,000/- (पाँच हजार) रू० का डिमांड ड्राफ्ट समाहर्ता-सह-बन्दोवस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पदनाम से संलग्न होना चाहिए।

  
सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी  
(मुख्यालय) शेखपुरा

  
अपर समाहर्ता  
-सह-  
प्रभारी पदाधिकारी  
बन्दोवस्त कार्यालय, शेखपुरा

  
समाहर्ता-सह-बन्दोवस्त पदाधिकारी  
शेखपुरा